अ0शा0 परिपत्र संख्याः डीजी-43/2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक : जून 19 ,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मा0 उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग एवं मा0 उच्च न्यायालय आदि के समक्ष समय-समय पर यह बिन्दु उठाया गया है कि लावारिस शवों का निस्तारण सम्मानपूर्ण एवं गरिमापूर्ण ढंग से नहीं किया जा रहा है और ऐसे शवों को नालों, नदियों और अन्य जल स्रोतों आदि में प्रवाहित करके शासकीय तंत्र द्वारा अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। आप सहमत होंगें कि यह मानवता के सिद्धान्तों की दृष्टि से भी अतिनिन्दनीय है तथा साथ ही साथ इससे पुलिस की छवि भी धूमिल होती है।

2. आप अवगत हैं कि लावारिश लाशों के सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-135ए में निम्न प्राविधान हैः-

" जब कोई शव पुलिस द्वारा प्राप्त किया जावे जिस पर न तो कोई दावा करता हो और न ही जिसे पहचाना जा सके, दं0प्र0सं0 की धारा 174 के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उसके पता लगाने का अधिक से अधिक व्यापक प्रचार इस दृष्टिकोण से कि शव को पहचान लिया जावे और मृतक के सम्बन्धियों, मित्रों, परिचितों का पता लगाने के लिए, जिनको शव के संस्कार के लिए सौंपा जा सके, करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा प्रचार ढोल बजाकर किया जाएगा और नगरीय क्षेत्रों में पुलिस स्थानीय प्रेस, यदि कोई हो तो प्रसारण केन्द्र और स्वयंसेवी संगठनों यथा सेवा समिति, की सहायता भी ले सकती है। जॉच कर रहा कोई पुलिस अधिकारी, जहॉ तक सम्भव हो, उस धर्म का सही रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिसका अनुयायी मृतक हों, ताकि शव का निपटारा (संस्कार), यदि अन्ततः वह आवश्यक हो, उस धर्म की रूढियों और रीतियों के अनुसार किया जा सके, जिसका मृतक अनुयायी रहा हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारी, अन्य जॉच करने के अतिरिक्त, शव को यह देखने की सावधानी पूर्वक परीक्षा करेगा कि क्या उस पर ऐसे कोई विशिष्ट लक्षण हैं, जो उसकी पहचान को स्थापित करने में सहायक सिद्व हो और जनरल डायरी तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में इस आशय की प्रविष्टि करेगा। यदि सम्यक प्रचार-प्रसार के बाद भी शव पर किसी

का दावा न किया जावे, ऐसी दशा में जनपदीय पुलिस प्रमुख उसे मेडिकल कालेज को उसी के व्यय से किये जाने वाले शरीर रचना की परीक्षा और चीर-फाड़ के प्रयोजन के लिए सौंप देंगे तथा मेडिकल कालेज के भार साधक अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगें कि परीक्षण एवं चीर-फाड़ के पश्चात शव का संस्कार उस धर्म की रूढ़ियों एवं रीतियों के अनुसार कर दिया गया है जिसका अनुयायी मृतक था। ”

3. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि लावारिस शवों का निस्तारण पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-135ए में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्भव न हो तो सम्मानजनक एवं मर्यादा पूर्ण ढंग से शवों का निस्तारण किया जाए और उपरोक्त कार्यवाही के दौरान मानवीय गरिमा एवं जनसमुदाय की भावनाओं का पूर्ण ध्यान रखा जाए। साथ ही लावारिश शवों को पोस्टमार्टम से पूर्व उसके फोटो को प्रमुख समाचार पत्रों में उनका सचित्र हुलिया फोटो सहित प्रकाशित कराया जाय जिससे अभिभावकों को सूचना मिलने की सम्भावना बन जाये।

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी) 19/06/14

1-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।